FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

रामा पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी ग्राम झाड़ौल तहसील अराई अजमेर राजस्थान वगै.

प्रार्थीगण

बनाम

अमरचन्द पुत्र घीसा जाति नायक निवासी ग्राम झाड़ौल तह. अराईं जिला अजमेर राज0 वगै.

अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी.

नंबर 98 / 2021

ऑनलाइन नंबर 2021 / ....

वकील प्रार्थीगण **वकील अप्रार्थीगण** ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.12.2021	यह प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी श्री रामा ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत पेश किया। प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06.01.2022 को पेश हो। उपखण्ड़ अधिकारी अराई (अजमेर)	
06/1/2022	पत्रावली पेश हुई वादी उप०/ प्रतिवादीगणों के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त मि०। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से वकील [illegible] व रामनिवास बैरवा उप०। अन्य प्रतिवादीगणों 1,5,4,6 की ओर से कोई उप० नहीं। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14/01/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
14/1/2022	पत्रावली पेश हुई वादी उप०/ प्रतिवादी 6.1 व 6 की ओर से वकील रामनिवास बैरवा उपस्थित। जवाब हेतु समय चाहा। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 28/01/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] भुगतान होकर नकल जारी हो उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	500 [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

: प्रार्थना पत्र संख्या 98/2021 :

उनवान रामा बनाम अमरचन्द

रामा पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर
राज. व अन्य
प्रार्थीगण

बनाम

अमरचन्द पुत्र घीसा जाति नायक निवासी झाडौल, तहसील अरांई जिला अजमेर
राजस्थान व अन्य
अप्रार्थीगण

•निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 व 151 सी.पी.सी.•

निर्णय दिनांक 28.04.2022

उपस्थितः- वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी दौराने बहस

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 में पेश कर निवेदन किया कि मूल वाद संख्या 68/99 माननीय न्यायालय में विचाराधीन था उक्त प्रकरण में दिनांक 27/11/2019 की पेशी नियत थी किन्तु उक्त पेशी के पूर्व वादी संख्या 05 रतना पुत्र हरचन्द का स्वर्गवास हो गया था एवं शेष वादीगण उसके धार्मिक कार्यकम में होने की सूचना उनके अधिवक्ता को दे दी थी। यह है कि दिनांक 27/11/2019 को वादी के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु नहीं जा सके अतः वरवक्त आवाज वादीगण एवं उसके अधिवक्ता हाजिर अदालत न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का मूल प्रकरण दिनांक 27/11/2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में प्रकरण खारिज कर दिया गया। यह है कि वादीगण के अधिवक्ता ने उक्त तथ्य की कोई सूचना नहीं भिजवाई किन्तु वादीगण ने दिनांक 01/12/2021 को अरांई आकर उक्त प्रकरण की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण दिनांक 27/11/2019 को ही खारिज किया जा चुका है जिस पर दिनांक 02/12/2019 को नियमानुसार प्रकरण की प्रमाणित नकल मय आदेशिका हेतु आवेदन किया तो दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई ऐसी स्थिती में यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह है कि उक्त प्रकरण में वादी संख्या 05 रतना पुत्र हरचन्द का तथा वादीया संख्या 8 का स्वर्गवास हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 05 हेमा पुत्र घीसा एवं कमला पत्नि स्व. घीसा का भी स्वर्गवास हो चुका है इसीलिये वादी संख्या 05 एवं प्रतिवादी संख्या 05 एवं प्रतिवादी संख्या 07 कमला के वारिसान को रिकार्ड में लेने हेतु प्रकरण सावधिक नम्बर पर आने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष जुदागान की कार्यवाही की जावेगी। यह है कि गैरहाजरी जानबूझकर नहीं हुई बवजह उपरोक्त मजबूरी हुई है अतः न्यायहित में दिनांक 27/11/2019 के आदेश को मंसूख किया जाकर मैरिट पर निर्णय पारित किया जाना न्यायासंगत हैं अन्यथा वादीगण की सख्त हकतलफी होगी। यह है कि कथित

उपखण्ड अधिकारी

र्यवाही की जानकारी 03.12.2019 को प्रमाणित नकल लेने पर हुई हैं। इस कारण डिले ड्रेन आवेदन पत्र दफा 05 अलहदा पेश है। श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय आदेश दिनांक 03.12.2019 को निरस्त फरमाया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 16.12.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.01.2022 को पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से वकील डीसी सेठी उपस्थित हुये । दिनांक 11.03.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से वकील रामनिवास बैरवा ने जवाब पेश किया जिसमें उसमें निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है तथा मियाद अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। यह है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में मृतक कमला को पक्षकार बनाया है। तथा नाबालिग आरती व दिलखुश को पार्टी नहीं बनाया गया है। यह है कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी तरसीम दिनांक 24.01.2022 को फौत हो चुकी है उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 सीपीसी के प्रावधानों के भी विपरित है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर और प्रकरण की कार्यवाही का ज्ञान होने पर भी यह प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया है साथ ही प्रार्थीगण को दिनांक 27.11.2019 को शाम को ही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की सूचना प्राप्त हो गई थी जिसकी जानकारी वादीगण को थी। यह है हेमा व कमला व रतना फौत हो चुकी है जिसकी जानकारी वादीगण को थी लेकिन उन्हौनें इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। यह है कि वादी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 व 06 के कथन अस्वीकार है तथा धारा 05 नियम कानून का प्रार्थना पत्र कानून विरोधी है तथा वादी की प्रार्थना पत्र की आदेश दिनांक 03.12.2019 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण की साबिक नम्बर पर लिया जाकर की प्रार्थना कानूनन सही नही है क्योंकी दिनांक 03.12.2019 को सम्बन्धित पत्रावली में कोई आदेशिक दर्ज नहीं है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी का मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रथमतः हम मियाद प्रा. पत्र का निर्णय किया जाना उचित समझते है वकील अप्रार्थी का यह कथन कि उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है के प्रतिउत्तर में वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्वोक्त वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया था तथा इसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि मूल वाद संख्या 68/99 माननीय न्यायालय में विचाराधीन था उक्त प्रकरण में दिनांक 27/11/2019 की पेशी नियत थी किन्तु उक्त पेशी के पूर्व वादी संख्या 05 रतना पुत्र हरचन्द का स्वर्गवास हो गया था एवं शेष वादीगण उसके धार्मिक कार्यक्रम में होने की सूचना उनके अधिवक्ता को दे दी थी, दिनांक 27/11/2019 को वादी के अधिवक्ता अन्य प्रकरण में अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रकरण में पैरवी हेतु नहीं जा सके अतः वरवक्त आवाज वादीगण एवं उसके अधिवक्ता हाजिर अदालत न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का मूल प्रकरण दिनांक 27/11/2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में प्रकरण खारिज कर दिया गया। श्रीमान जी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27/11/2019 को निरस्त फरमाया जाकर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे। वकील प्रतिवादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

8/1-आरती (पुजा) पुत्री ...

गोपाल चन्ता

र्थना पत्र मियाद बाहर है तथा मियाद अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। प्रार्थी
उक्त प्रार्थना पत्र में मृतक कमला को पक्षकार बनाया है। तथा नाबालिग आरती व दिलखुश
ी पार्टी नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी तरसीम दिनांक 24.01.2022 को फौत हो
ुकी है उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र आदेश
2 सीपीसी के प्रावधानों के भी विपरित है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर और प्रकरण की कार्यवाही
ा ज्ञान होने पर भी यह प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया है साथ ही प्रार्थीगण को दिनांक 27.
1.2019 को शाम को ही प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की सूचना प्राप्त हो गई
ी जिसकी जानकारी वादीगण को थी। यह है हेमा व कमला व रतना फौत हो चुकी है
जिसकी जानकारी वादीगण को थी लेकिन उन्होनें इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की अतः
प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। वादी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 व 06 के कथन अस्वीकार
है तथा धारा 05 नियम कानून का प्रार्थना पत्र कानून विरोधी है तथा वादी की प्रार्थना पत्र की
आदेश दिनांक 03.12.2019 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण की साबिक नम्बर पर लिया
जाकर की प्रार्थना कानूनन सही नही है क्योंकी दिनांक 03.12.2019 को सम्बन्धित पत्रावली में
कोई आदेशिक दर्ज नहीं है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी का मय हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाया जावे।
वकील उभयपक्ष की बहस को सुना गया केवल मियाद के आधार पर ही प्रार्थी को न्याय से
वंचित नहीं किया जा सकता साथी मृतको के वारिसान तो मूल पत्रावली तलब होने के बाद
भी न्यायिक कार्यवाही के द्वारा तलब कर लिये जायेंगें जबकि मूल वाद में प्राथमिक डिक्री हो
चुकी थी अतः केवल और केवल मात्र अदम हाजरी या मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र
अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं स्पष्ट होता है अतः वकील उभयपक्ष की बहस व नैसर्गिक
न्याय के सिद्धान्तों एवं न्यायहित के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09
सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र की कोस्ट पर स्वीकार
किया जाता है। उपखण्ड कार्यालय किशनगढ को मूल पत्रावली तलब करने हेतु तहरीर जारी
हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.04.22

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)